

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

रीडर/2019/ ५१

दिनांक - 15/03/19

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|--|------|---|
| 1 मेगाराम पुत्र काछवाराम जाति रवारी निवासी बोथिया जांगीर, कपूरडी तहसील व जिला बाड़मेर। | | 1 शंकराराम 2 जगमाल 4 गेनसिंह 4 नेपालसिंह पिसरान खेता 5 प्रवीण पुत्र जेटूसिंह 6 रेवन्तकंवर पत्नी जेटूसिंह जाति राजपूत निवासी चूली 7 बीजलाल पुत्र अन्नाराम 8 सुरताराम पुत्र देरामाराम जाति रवारी निवासी बोथिया जांगीर तहसील व जिला बाड़मेर। |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 06/2019 दिनांक- 15.03.2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बोथिया जागीर पटवार क्षेत्र कपूरडी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 633/36 रकबा 32.05 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के संदर्भ) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर जमा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 15/03/19

क्रमांक :- रीडर/2019/ 482 - 85
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कपूरडी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. मेगाराम पुत्र काछवाराम जाति रवारी निवासी बोथिया जांगीर, कपूरडी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी शंकराराम पुत्र खेताराम वगैराह निवासी चूली तहसील व जिला बाड़मेर।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर